रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2003/अग्रहायण 11, 1925
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2003/AGRAHAYANA 11, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

सं. 409—5/2003(एफ एन).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंत:संयोजन की शर्तें नियत करने, उनके बीच प्रभावकारी अंत:संयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त अपने अपने राजस्व की भागीदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) की उपधारा (ख) के खंड (ii), (iii) तथा (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

दूरसंचार अंत:संयोजन उपयोग प्रभार (प्रथम संशोधन) विनियम, 2003

(2003 का क्रमांक 5)

खंड I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(i) इस विनियम का नाम "दूरसंचार अंत:संयोजन उपयोग प्रभार (प्रथम संशोधन) विनियम, 2003" होगा।

(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

खंड II

2.1 दूरसंचार अंत:संयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 के खंड-IV के भाग 4 में, उपभाग (ii) को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ii) आई यू सी के वास्तविक रूप में लागू होने की तारीख 15 दिसंबर 2003 होगी।"

खंड III

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस विनियम में अनुलग्नक क पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो इस विनियम से जुड़े मामलों पर स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

आदेशानुसार,
डा. हर्ष वर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकर
[विज्ञापन -III/IV/142/2003/असा.]

अनुलग्नक—क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दिनांक 29-10-2003 को जारी अंत:संयोजन उपयोग प्रभार विनियम में, शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि संशोधित आई यू सी व्यवस्था 1-12-2003 से कार्यान्वित हो जाएगी। इस विनियम के अनुसार, उस तारीख तक विद्यमान समस्त अंत:संयोजन समझौतों/व्यवस्थाओं को आई यू सी व्यवस्था के संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार संशोधित विनियम के वास्तविक रूप से लागू होने की तारीख याने 1 दिसंबर, 2003 से संशोधित माना जाएगा ताकि ये इस संशोधित आई यू सी व्यवस्था की विद्यमान संरचना के अनुरूप हों और इन्हें इस विनियम के लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए और रिपोर्टिंग आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के लिए टी आर ए आई को प्रस्तुत किया जाए।

2. कुछ सेवा प्रदाताओं ने निम्नलिखित से संबंधित अनेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे हैं :—

- 'यूनिफाइड एक्सेस' सेवाओं पर अनुप्रयोज्य या लागू अंत:संयोजन उपयोग प्रभार (आई यू सी/IUC)
- नंबरिंग, रूटिंग, अंत:संयोजन बिंदु (POI)
- कैरिएज प्रभार
- समाधान संबंधी मामले
- 50 कि.मी. से आगे के कैरिएज प्रभारों में +/- 10% संबंधी समझौता
- (बीएसएनएल सहित) सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (CMSP) के बीच कॉल जब सीधी कनेक्टीविटी कार्यान्वित नहीं हो पाई हो
- बी एस एन एल से कार्यान्वयन विवरण सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण, दिसंबर, 2003 के पहले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे

3. उपर्युक्त को देखते हुए, 29 अक्टूबर, 2003 को जारी दूरसंचार अंत:संयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 के लागू होने की तारीख अब 15 दिसंबर, 2003 होगी और सेवा प्रदाताओं को इस विनियम से सुसंगत संशोधित अंत:संयोजन करार 31 दिसंबर, 2003 तक प्राधिकरण को भेजने होंगे।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2003

No. 409-5/2003-FN.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses (ii), (iii) and (iv) of Sub-section (b) of Section 11 (1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, to fix the terms and conditions of interconnectivity between Service Providers, to ensure effective interconnection between different service providers and to regulate arrangements amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation.

The Telecommunication Interconnection Usage Charges (First Amendment) Regulation, 2003 (5 of 2003)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :

(i) This Regulation shall be called "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (First Amendment) Regulation, 2003".

(ii) The Regulation shall be deemed to have come into force from the date of its notification in the official Gazette.

Section II

2.1 In clause 4 under Section IV of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003, sub-clause (ii) shall be deleted and substituted by the following :

"(ii) The date of effect for actual implementation of IUC shall be 15th December, 2003."

Section III

3. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.

By Order,

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor

[ADVT-III/IV/Extraordinary/142/03]

Annexure-A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telcommunication Interconnection Usage Charges Regulation issued on 29th October, 2003 had initially envisaged the implementation of the revised IUC regime by 1-12-2003. As per this Regulation, all existing interconnect agreements/arrangements as on date were to stand amended on the date of actual implementation of this Regulation, i.e. 1st December, 2003, so as to conform to the framework of the revised IUC regime and these have to be submitted to TRAI for registration within 15 days of implementation of this Regulation, and for subsequent changes as per reporting requirement.

2. Some of the service providers have now sought clarification on a number of issues relating to

- IUC applicable for unified access services,
- Numbering, Routing, Point of Interconnections
- Carriage Charges
- Reconciliation issues
- +/- 10% negotiation in carriage charges beyond 50 Kms
- Calls between CMSPs (including BSNL) where direct connectivity has not yet been implemented
- Implementation details from BSNL

The clarificatons on the issues raised by Service Providers will be issued in the first week of December 2003.

3. In view of the above, the date of implementation for the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) dated 29th October, 2003 will now be 15th December, 2003 and the service providers have to file with the Authority the amended interconnect agreement, in conformity with this Regulation latest by 31st December, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.